<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10/01/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अशोनी कंवर से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अनंतिम रूप से सात अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये सात अचल संपत्तियां हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।

ईडी ने आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धर्मपुर पुलिस स्टेशन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी राज कुमार राणा ने अपनी पत्नी अशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा सहित अन्य सह-आरोपियों की मदद से एजेंटों/छात्रों से पैसे के बदले फर्जी डिग्री बेचीं। ये फर्जी डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन के नाम पर बेची गई थीं और फर्जी डिग्री की इस बिक्री से उत्पन्न पीओसी 387 करोड़ रुपये में परिमाणित है। इस अवैध गतिविधि से प्राप्त धन का उपयोग राज कुमार राणा, अशोनी कंवर और मनदीप राणा द्वारा विभिन्न राज्यों में अपने नाम पर और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को अर्जित करने के लिए किया गया था।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत राज कुमार राणा, अशोनी कंवर, मनदीप राणा और अन्य सहित 14 व्यक्तियों और 02 संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की थी। माननीय विशेष न्यायालय, शिमला ने 04.01.2023 को इस पीसी का संज्ञान लिया था।

मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अशोनी कंवर और मनदीप राणा देश छोड़कर भाग गए थे। इससे पहले इस मामले में, ईडी ने 29.01.2021 को 194.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से भी कुर्क किया था। इस अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि बाद में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई थी। इस तरह इस मामले में कुल कुर्की की राशि 200 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।